

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	आश्विन 25, बुधवार, शाके 1934—अक्टूबर 17, 2012 <i>Asvina 25, Wednesday, Saka 1934—October 17, 2012</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2012

संख्या प. 2 (39) विधि/2/2012.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 26)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुई]

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 25 मई, 2012 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 15 का संशोधन.- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 15 में विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) प्रत्येक बार संगम अपने संविधान, नियमों या उप-विधियों के अनुसार यथासमय निर्वाचन करायेगा और राजस्थान की बार

काउन्सिल या भारत की बार काउन्सिल द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या निदेशों का पालन करेगा।"।

3. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 में,-

(i) उप-धारा (1) का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (5) में,-

(क) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 200/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "300/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 500/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "750/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 750/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "1,250/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (5) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "10,000/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "17,500/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (5) के द्वितीय परन्तुक में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(v) यथापूर्वोक्त संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि यदि चालू वर्ष का वार्षिक अभिदान 30 जून को या उससे पूर्व संदत्त नहीं किया जाता है तो निधि का सदस्य, उस तारीख से जिसको अभिदान देय हो जाता है, बकाया की रकम पर 1.50 रु. प्रति सौ प्रतिमास की दर से ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।"।

4. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) में,-

- (i) द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो लाख पचास हजार रु." प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान अन्तिम परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि द्वितीय परन्तुक के उपबंध उस सदस्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जो पैंतालीस वर्ष की आयु के पश्चात् प्रवेश या पुनः प्रवेश करता है:"।

5. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस रु." प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस रु." प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"25. निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान,-(1) न्यासी समिति, उसको आवेदन के प्रस्तुत होने पर तथा दावे की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात्, किसी सदस्य को निधि से निम्नलिखित दशा में अनुग्रह अनुदान अनुज्ञात कर सकेगी -

- (क) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, किसी गंभीर शल्य क्रिया के अन्तर्गस्त होने पर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में; या
- (ख) यदि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण या एन्जियोप्लास्टी होती है या वह क्षय, कुष्ठ, पक्षाघात, कैंसर, चित्तविकृति, एड्स, पैराप्लेजिया या किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित पचास प्रतिशत से अधिक

की निःशक्तता से या ऐसे ही किसी अन्य गंभीर रोग से पीड़ित है।

(2) इस प्रकार अनुज्ञात अनुदान खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में 40,000/-रु. और खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में 1,00,000/-रु. से अधिक नहीं होगा:

परन्तु ऐसा दावा पांच वर्ष की कालावधि में एक बार से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि 45 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रवेश या पुनः प्रवेश करने वाला सदस्य कोई भी अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा"।

8. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"अनुसूची
(धारा 17 देखिए)**

5 वर्ष की सदस्यता	:	19,000/-रु.
6 वर्ष की सदस्यता	:	22,000/-रु.
7 वर्ष की सदस्यता	:	25,000/-रु.
8 वर्ष की सदस्यता	:	28,000/-रु.
9 वर्ष की सदस्यता	:	31,000/-रु.
10 वर्ष की सदस्यता	:	36,000/-रु.
11 वर्ष की सदस्यता	:	41,000/-रु.
12 वर्ष की सदस्यता	:	46,000/-रु.
13 वर्ष की सदस्यता	:	51,000/-रु.
14 वर्ष की सदस्यता	:	56,000/-रु.
15 वर्ष की सदस्यता	:	61,000/-रु.
16 वर्ष की सदस्यता	:	67,000/-रु.
17 वर्ष की सदस्यता	:	74,000/-रु.
18 वर्ष की सदस्यता	:	81,000/-रु.
19 वर्ष की सदस्यता	:	88,000/-रु.

20 वर्ष की सदस्यता	:	95,000/-रु.
21 वर्ष की सदस्यता	:	1,05,000/-रु.
22 वर्ष की सदस्यता	:	1,15,000/-रु.
23 वर्ष की सदस्यता	:	1,25,000/-रु.
24 वर्ष की सदस्यता	:	1,35,000/-रु.
25 वर्ष की सदस्यता	:	1,45,000/-रु.
26 वर्ष की सदस्यता	:	1,62,000/-रु.
27 वर्ष की सदस्यता	:	1,79,000/-रु.
28 वर्ष की सदस्यता	:	1,96,000/-रु.
29 वर्ष की सदस्यता	:	2,13,000/-रु.
30 वर्ष की सदस्यता	:	2,30,000/-रु.
31 वर्ष की सदस्यता	:	2,55,000/-रु.
32 वर्ष की सदस्यता	:	2,80,000/-रु.
33 वर्ष की सदस्यता	:	3,05,000/-रु.
34 वर्ष की सदस्यता	:	3,30,000/-रु.
35 वर्ष की सदस्यता	:	3,55,000/-रु.
36 वर्ष की सदस्यता	:	3,90,000/-रु.
37 वर्ष की सदस्यता	:	4,25,000/-रु.
38 वर्ष की सदस्यता	:	4,60,000/-रु.
39 वर्ष की सदस्यता	:	4,95,000/-रु.
40 वर्ष की सदस्यता	:	5,30,000/-रु."।

9. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, October 17, 2012

No. F. 2 (39) Vidhi/2/2012.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhinyam, 2012 (2012 Ka Adhinyam Sankhyank 26):—

**(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND
(AMENDMENT) ACT, 2012
(Act No. 26 of 2012)**

[Received the assent of the Governor on the 14th day of October, 2012]

An

Act

further to amend the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Rajasthan Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 25th May, 2012.

2. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 15 of 1987.— In section 15 of the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 (Act No. 15 of 1987), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, after the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:—

“(3) Every Bar Association shall hold the election timely as per its constitution, rules or by-laws and shall abide by the

instructions or directions issued, from time to time, by the Bar Council of Rajasthan or the Bar Council of India.”.

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 15 of

1987.- In section 16 of the principal Act,-

- (i) the existing proviso to sub-section (1) shall be deleted;
- (ii) in sub-section (5),-
 - (a) in clause (i), for the existing expression “ Rs. 200/-”, the expression “ Rs. 300/-” shall be substituted;
 - (b) in clause (ii), for the existing expression “ Rs. 500/-”, the expression “ Rs. 750/-” shall be substituted; and
 - (c) in clause (iii), for the existing expression “ Rs. 750/-”, the expression “ Rs. 1,250/-” shall be substituted;
- (iii) in the first proviso to sub-section (5), for the existing expression “Rs. 10,000/-”, the expression “Rs. 17,500/-” shall be substituted;
- (iv) in the second proviso to sub-section (5), for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (v) after the second proviso, amended as aforesaid, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided also that if annual subscription of current year is not paid on or before 30th June, the member of the Fund shall be liable to pay on the amount of arrear an interest at the rate of Rs. 1.50 per hundred per month from the date on which subscription becomes due.”.

4. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 15 of

1987.- In sub-section (1) of section 17 of the principal Act,-

- (i) in the second proviso, for the existing expression “rupees one lac”, the expression “rupees two lacs fifty thousand” shall be substituted; and
- (ii) after the existing second proviso and before the existing last proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the provisions of second proviso shall not be applicable in respect of a member who is admitted or readmitted after the age of forty five years:”.

5. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 19 of the principal Act, for the existing expression “ten rupees”, the expression “twenty five rupees” shall be substituted.

6. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 20 of the principal Act, for the existing expression “rupees ten”, the expression “rupees twenty five” shall be substituted.

7. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing section 25 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“25. *Ex-gratia grant to a member of the Fund.-* (1)

The Trustee Committee, on an application submitted to it, and after being satisfied about the genuineness of the claim, may allow ex-gratia grant to a member from the Fund-

(a) in case of hospitalization involving a major surgical operation other than that specified in clause (b); or

(b) if he undergoes open heart surgery, organ transplantation or angioplasty or is suffering from tuberculosis, leprosy, paralysis, cancer, unsoundness of mind, AIDS, paraplegia or disablement certified by a Medical Board to be more than fifty per cent or from such other serious diseases.

(2) The grant so allowed shall not exceed a sum of Rs. 40,000/- in cases falling under clause (a) and Rs. 1,00,000/- in cases falling under clause (b):

Provided that the claim shall not be more than once in a period of five years:

Provided further that the member admitted or readmitted after the age of 45 years shall not be entitled to receive any ex-gratia grant.”.

8. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing Schedule to the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

(See section 17)

5 years membership	:	Rs. 19,000/-
6 years membership	:	Rs. 22,000/-
7 years membership	:	Rs. 25,000/-
8 years membership	:	Rs. 28,000/-
9 years membership	:	Rs. 31,000/-
10 years membership	:	Rs. 36,000/-
11 years membership	:	Rs. 41,000/-
12 years membership	:	Rs. 46,000/-
13 years membership	:	Rs. 51,000/-
14 years membership	:	Rs. 56,000/-
15 years membership	:	Rs. 61,000/-
16 years membership	:	Rs. 67,000/-
17 years membership	:	Rs. 74,000/-
18 years membership	:	Rs. 81,000/-
19 years membership	:	Rs. 88,000/-
20 years membership	:	Rs. 95,000/-
21 years membership	:	Rs. 1,05,000/-
22 years membership	:	Rs. 1,15,000/-
23 years membership	:	Rs. 1,25,000/-
24 years membership	:	Rs. 1,35,000/-
25 years membership	:	Rs. 1,45,000/-
26 years membership	:	Rs. 1,62,000/-
27 years membership	:	Rs. 1,79,000/-
28 years membership	:	Rs. 1,96,000/-
29 years membership	:	Rs. 2,13,000/-
30 years membership	:	Rs. 2,30,000/-
31 years membership	:	Rs. 2,55,000/-
32 years membership	:	Rs. 2,80,000/-
33 years membership	:	Rs. 3,05,000/-

34 years membership	:	Rs. 3,30,000/-
35 years membership	:	Rs. 3,55,000/-
36 years membership	:	Rs. 3,90,000/-
37 years membership	:	Rs. 4,25,000/-
38 years membership	:	Rs. 4,60,000/-
39 years membership	:	Rs. 4,95,000/-
40 years membership	:	Rs. 5,30,000/-”.

9. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 4 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.